

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन
नौएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301

18
पंजीकृत

आबंटन ज्ञाप

मे० Sh. Ajay Malik & Sh. Vijay Malik, B-19, Sector-18,
Mehra को

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्ड संख्या 548 ब्लाक W
सैक्टर X का आवंटन Consolidated Packaging Boxes
बनाने की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार किया जाता है:-

- अ. भूखण्ड का अनंतिम क्षेत्रफल 1114.50 वर्ग मीटर
ब. भूखण्ड की मूल आवंटन दर 0.50 प्रति वर्ग मीटर
स. भूखण्ड कोने/चौड़े मार्ग पर/पार्क/
हरित पट्टी के सामने होने पर भूमि की
मूल आवंटन दर के अतिरिक्त
रुपये 125/- प्रति वर्ग मीटर
ड. आवंटित भूखण्ड की कुल अनंतिम आवंटन दर
रुपये 26.25/- प्रति वर्ग मीटर
ई. आवंटित भूखण्ड का अनंतिम प्रीमियम
रुपये 3,29,313/- प्रति वर्ग मीटर
फ. भूखण्ड के अनंतिम प्रीमियम की 30 प्रतिशत
के बराबर अनंतिम आवंटन राशि
रुपये 1,13,794/-
ज. जमा पंजीकरण राशि
रुपये 50,000/-
च. शेष देय अनंतिम आवंटन राशि
रुपये 63,794/-
(पंजीकरण राशि के समायोजन के पश्चात्)

अनंतिम प्रीमियम की बकाया 70 प्रतिशत धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित बराबर
किश्तों में आबंटी द्वारा देय होगी। तथा प्रथम किश्त 30-6-99 दिनांक को देय है।
आबंटन निम्न नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत किया गया है:-

1. आवंटित भूखण्ड संबन्धित अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में यदि कोई वृद्धि होती है तब आबंटी समानुपातिक रूप से उपरोक्त भूमि के प्रीमियम हेतु अतिरिक्त भुगतान करेगा।
2. यदि भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल उपरोक्त अनंतिम क्षेत्रफल से भिन्न (कम या अधिक) होता है तब आबंटी द्वारा वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रीमियम देय होगा।
3. आबंटी को उपरोक्त शेष देय आबंटन राशि का भुगतान संलग्न चालान द्वारा विजया बैंक सैक्टर-19 नौएडा में इस ज्ञाप की तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा तथा जमा किये गये चालान की छायाप्रति प्राधिकरण में जमा करायेगे। यदि उपरोक्त अवधि में आबंटी द्वारा शेष देय आबंटन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब बिना किसी अवसर को दिये हुए आबंटित भूखण्ड का आवंटन वापस ले लिया जाएगा। शेष देय आबंटन राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपरोक्त भुगतान के लिए समयवृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि समयवृद्धि प्रदान की जाती है तब आबंटी द्वारा 24 प्रतिशत छमाही

निरस्त कर विधिक दस्तावेजों का पर्यावसान/खण्डन कर भूखण्ड/शेड का कब्जा वापस ले लेगा। ऐसी स्थिति में औद्योगिक भूखण्ड/शेड के कुल प्रीमियम/मूल धनराशि का 1 प्रतिशत जब्त कर शेष धन राशि, वापिस कर दी जाएगी।

27. किसी भी नियम एवं शर्तों के निर्वचन विषय में प्राधिकरण का निर्णय आवंटी/पट्टेदार पर बाध्य होगा।
28. आवंटी/पट्टेदार उ०प्र० औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत पारित किये गये नियमों व विनियमों अथवा/एवं निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगा।
29. उपरोक्त संदर्भ में प्राधिकरण के अंतर्गत नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी माने जाएंगे।
30. किसी भी विवाद का निपटारा जिला-गौतमबुद्ध नगर के न्यायालय या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार में होगा।

कृते: नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संलग्नक :

1. चालान
2. विधिक प्रलेख के निष्पादन हेतु चैक लिस्ट (कृपया पीछे देखें)

सहायक विकास प्रबन्धक (औ)

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन
नौएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301

पत्र संख्या: नौएडा/उविवि/आवंटन/..... 1775

प्रतिलिपि : 11381/4B

दिनांक 31/10/98

1. आवंटी मै० श्री/श्रीमती/कु० ajay malik ash vijay malik, B-19, Sector-18
NOKIA

2. परियोजना अभियन्ता I/II/III/IV
3. लेखाधिकारी (औद्योगिक)
4. आवंटी की पत्रावली

सहायक विकास प्रबन्धक (औ)